न्यांयालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 11/2019

सरकार जरीये श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जोधपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष (एफबीओ/मालिक)
फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर
निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.) ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष (एफबीओ / मालिक)
फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर
निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरक्ति जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट / रीडर / 2012 / 1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.) ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, एफएएसएसए का रजि0 सं.

12214032000009, नगर निगम जोधपुर का ट्रेड लाईसेन्स 2016–17, फार्म–एस.टी.–4 प्रमाण पत्र, नमूना एम–1145 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एम–1145 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एम–1145 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एम–1145 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 11799–800 ,जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस 564/एक्ट/2016/596, खाद्य विश्लेषक का पत्र 206–214, न्यायनिर्णय स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2016 को 01.30 पी.एम अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री राजेश कोठारी को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने 12214032000009 एवं नगर निगम जोधपुर का ट्रेड लाईसेन्स 2016–17, फार्म–एसटी–4 प्रमाण–पत्र पेश किया ।

उपरोक्त निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर **मारवाडी कुल्फी** एक डिप फ्रिजर में लगभग 1000 नगर प्रत्येक 50 ग्राम आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाहान के सामने विकेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 600/– नगद देकर **मारवाडी कुल्फी 50 ग्राम के 24 नगर कुल 900ग्राम** वास्ते जांच खरीदा एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **मारवाडी कुल्फी** को एक रूप कर चार साफा सुखी एवं खाली नयी कांच की शीशी में (300ग्राम) बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 36–36 बन्दे बतौर प्रिजरवेटिव की डाली एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाह के समक्ष चार लेबल तैयार किये जिस पर डीओ कोड व सीरियल न.

,जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस 564/एक्ट/2016/596, खाद्य विश्लेषक का पत्र 206–214, न्यायनिर्णय स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र की प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2016 को 01.30 पी.एम अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री राजेश कोठारी को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने 12214032000009 एवं नगर निगम जोधपुर का ट्रेड लाईसेन्स 2016–17, फार्म–एसटी–4 प्रमाण–पत्र पेश किया ।

उपरोक्त निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पर **मारवाडी कुल्फी** एक डिप फ्रिजर में लगभग 1000 नगर प्रत्येक 50 ग्राम आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाहान के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 600/– नगद देकर **मारवाडी कुल्फी 50 ग्राम के 24 नगर कुल 900ग्राम** वास्ते जांच खरीदा एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **मारवाडी कुल्फी** को एक रूप कर चार साफा सुखी एवं खाली नयी कांच की शीशी में (300ग्राम) बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 36–36 बन्दे बतौर प्रिजरवेटिव की डाली एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया। विक्रेता एवं गवाह के समक्ष चार लेबल तैयार किये जिस पर डीओ कोड व सीरियल न. **एम–1145** दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर **एम–1145** चार पेपर स्लिप **एम–1145** हस्ताक्षर युक्त डॉ युद्धवीर सिंह राठौड, अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी

जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवायें। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूनां भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 17.05.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम–1145 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 16.05.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 16.05.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र कमांक 11799–800 दिनांक 17.06.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 564/एक्ट/2016/596 दिनांक 09.06.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **मारवाडी कुल्फी** का नमूना **अवमानकस्तर** (Sub-Standred) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2016/ स्वीकृति/ **एम–1145**/1836–37 दिनांक 23.01.2017 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अवमानकस्तर (Sub-Standred) **मारवाडी कुल्फी** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 30/1/2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री प्रकाश सिंह को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25.04.2017 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया की जांच में मिल्क फेट 10 प्रति होना चाहिए जिसके स्थान पर 8.14 प्रतिशत पाया गया। मैं कुल्फी बनाने हेतु दूध बाजार से अच्दी क्वालिटी का खरीद करता हूँ लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से दूध में फेट की कमी पाई जाती है मेरे द्वारा उक्त दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट नही की जाती है अतः भविष्य में इसका पुरा ध्यान रखा जायेगा। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 17.05.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम–1145 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 16.05.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 16.05.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र क्रमांक 11799–800 दिनांक 17.06.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 564/एक्ट/2016/596 दिनांक 09.06.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **मारवाडी कुल्फी** का नमूना **अवमानकस्तर** (Sub-Standred) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2016/ स्वीकृति/ **एंम–1145**/1836–37 दिनांक 23.01.2017 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने अवमानकस्तर (Sub-Standred) **मारवाडी कुल्फी** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 30/1/2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री प्रकाश सिंह को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 25.04.2017 को जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया की जांच में मिल्क फेट 10 प्रति होना चाहिए जिसके स्थान पर 8.14 प्रतिशत पाया गया। मैं कुल्फी बनाने हेतु दूध बाजार से अच्दी क्वालिटी का खरीद करता हूँ लेकिन ज्यादा गर्मी की वजह से दूध में फेट की कमी पाई जाती है मेरे द्वारा उक्त दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट नही की जाती है अतः भविष्य में इसका पुरा ध्यान रखा जायेगा। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस. 564/एक्ट/2016/596 दिनांक

09.06.2016 द्वारा अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी की दुकान से लिया गया सैम्पल नमूना संख्या एम–1145 जांच रिपोर्ट में अवमानकस्तर (Sub-Standred) होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी पर राशि रूपये 4000 (अखरे रूपये चार हजार मात्र मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 10/5/17 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10/5/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर जोधपुर

क्रमांक :- 1155 - 1158 दिनांक 10/5/2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.)
4. श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष (एफबीओ / मालिक)
   फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर
   निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर

पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री राजेश कोठारी पर राशि रूपये 4000 (अखरे रूपये चार हजार मात्र मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 10/5/17 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10/5/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर जोधपुर

क्रमांक :- 1155 - 1158 दिनांक 10/5/2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.)
4. श्री राजेश कोठारी पुत्र श्री पुष्पचन्द कोठारी, उम्र–51वर्ष (एफबीओ/मालिक)
   फर्म– मैसर्स श्री पार्श्वनाथ कोल्ड ड्रिकं, प्लॉट सं. 13, सिन्धी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, जोधपुर
   निवासी– प्लॉट सं. 335, लक्ष्मीनगर, पावटा सी रोड, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर जोधपुर